

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/4127

दिनांक: 13/6/2019

-:आदेश:-:

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारी का स्थानान्तरण/पदस्थापन निर्देशानुसार तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री विजय चौहान	कनिष्ठ सहायक	नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़	नगर परिषद चित्तौड़गढ़
2.	श्री मुकेश कुमार मोहित	अति.प्रशा.अधिकारी	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़
3.	श्री अजय रजक	फायरमैन	चित्तौड़गढ़	एपीओ निदेशालय
4.	श्री कल्पेश कुमार पाटीदार	फायरमैन	डूंगरपुर	सागवाडा
5.	श्री निलेश कुमार पाटीदार	फायरमैन	सागवाडा	एपीओ निदेशालय
6.	श्रीमती ममता पत्नी श्री मुकेश कुमार	सफाई कर्मचारी	नोहर	हनुमानगढ़
7.	श्रीमती शालु पत्नी श्री कैलाश कण्डारा	सफाई कर्मचारी	सुमरेपुर	पाली
8.	श्री राजेश कुमार शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सवाई माधोपुर	जयपुर
9.	श्री विश्वास गोदारा	सहायक राजस्व निरीक्षक	श्रीगंगानगर	पदमपुर(अधिकाशी अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध)
10.	श्री श्रवण लाल तेली	वरिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	भीलवाडा
11.	श्री गोपाल गुर्जर	कनिष्ठ सहायक	एपीओ निदेशालय	जैतारण
12.	श्रीमती मनीषा चौधरी	राजस्व निरीक्षक	जालोर	भीनमाल

विभागीय आदेश क्रमांक: 3773-3816 दिनांक 10.06.2019 के द्वारा श्री विक्रम सिंह कनिष्ठ लिपिक का नगर पालिका खेरली से नगर पालिका कुम्हेर किया गया स्थानान्तरण निर्देशानुसार निरस्त किया जाता है।

अतः उक्त कर्मचारियों को तुरन्त पदस्थापित स्थान के लिये कार्यमुक्त कर शीघ्र विभाग को अवगत करावें।

नोट:-

01. स्थानान्तरित कर्मचारी के पदनाम में कोई परिवर्तन हो तो तुरन्त विभाग को अवगत करावें अन्यथा व्यक्तिशः जिम्मेदारी होगी।
02. स्थानान्तरित कर्मचारी का सेवाभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त ही इन्हें वेतन का भुगतान किया जावें।

03. यदि कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी/सविदा पर नियुक्त हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे एवं कार्यमुक्त नहीं किया जाकर विभाग को अवगत करावे।
04. यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त/किसी अन्य कारणों से सेवा से पृथक हो गया हो तो उसका स्थानान्तरण नहीं माना जावे।
05. वर्ष 2018 में लाटरी के द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारियों का उक्त सूची में नाम हों तो स्थानान्तरण नहीं माना जावे।



(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(ग) ()का/एसएमई/डीएलबी/19/4128-4167 दिनांक : 13/6/2019

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो० स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिसाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. सुरक्षित पत्रावली।



(अलका मीणा)
उप निदेशक (प्रशासन)